रजिस्टर्ड नं० एल०-33/एस०एम०/13-14/96.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, बीरवार, 26 सितम्बर, 1996/4 आश्विन, 1918

हिमाचल प्रदेश सरकार

निर्वाचन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 23 सितम्बर, 1996

संख्या 3-22/96-ई०एल०एन०.—भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना संख्या 470/96/ब्या०-II (1) तथा 470/96/ब्या०-II (2) दोनों दिनांक 17 सितम्बर, 1996 को अंग्रेजी रूपान्तर सहित जनसाधारण की सूचना हेतु प्रकाशित किया जाता है ।

आदेश से,

सुतानु बिहुरिया,
मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
हिमाचल प्रदेश ।

मूल्य : एक रुपया ।

2897-राजपत्र/96-26-9-96-1,262.

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

निर्वाचन सदन,
अशोक रोड,
नई दिल्ली-110 001.

तारीख, 17 सितम्बर, 1996 / 26 भाद्रपद, 1918 (शक)

संख्या 470/96/न्याय-II (1).—यतः, 15 फरवरी, 1993 से निर्वाचनों का संचालन (द्वितीय संशोधन) नियम, 1993 द्वारा यथा संशोधित, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 59 क में उपबन्धित है कि निर्वाचन आयोग को जहां किसी भी निर्वाचन-क्षेत्र में निर्वाचकों के अभित्रास और उत्पीड़न की आशंका है और उसका यह मत है कि मतदान-केन्द्र वार मतगणना करने के बजाय उक्त निर्वाचन-क्षेत्र में प्रयुक्त मत पेटियों में से सभी मतपत्रों को निकाल कर गणना से पहले मिलाया जाना नितान्त आवश्यक है तो वह इस हेतु शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसे निर्वाचन क्षेत्र को विनिर्दिष्ट करेगा ;

2. और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के उक्त नियम 59 क के अधीन ऐसे विनिर्देशन होने पर, विनिर्दिष्ट निर्वाचन-क्षेत्र के मतपत्रों की गणना मतदान केन्द्र वार गणना करने के बजाय, मिश्रित करके की जाएगी ;

और यतः, निर्वाचन आयोग ने इस मामले का सावधानीपूर्वक अध्ययन किया है और यह निश्चय किया है कि हिमाचल प्रदेश राज्य के 8—शिमला विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में वर्तमान स्थिति के परिप्रेक्ष्य में और स्वतन्त्र और निष्पक्ष निर्वाचन के हित में तथा निर्वाचकों के बचाव और सुरक्षा के लिए भी एवम् उस निर्वाचन क्षेत्र में, निर्वाचकों के अभित्रास और उत्पीड़न को रोकने की दृष्टि से, उक्त विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र को, विधान सभा के उप-निर्वाचन में, जो कि उक्त विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में, प्रगति-उन्मुख है, मतों की गणना के प्रयोजनार्थ, उक्त नियम 59 क के अधीन विनिर्दिष्ट किया जाए ;

अतः अब, निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य में उक्त 8—शिमला विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र को ऐसे निर्वाचन क्षेत्र के रूप में विनिर्दिष्ट करता है, जिसमें, यथा संशोधित, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 59 क के उपबन्ध उक्त हिमाचल प्रदेश राज्य की विधान सभा के उप-निर्वाचन में, मतों की गणना के प्रयोजनार्थ लागू होंगे।

आदेश से,

एस० के० मेंदीरत्ता,
प्रधान सचिव।

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

Nirvachan Sadan,
Ashoka Road,
New Delhi-110001.

Dated, 17 *September*, 1996 / 26 *Bhadra*, 1918 (*Saka*)

No. 470/96/JUD-II (1).—WHEREAS, rule 59A of the Conduct of Elections Rules, 1961 as amended by the Conduct of Elections (Second Amendment) Rules, 1993 with effect from 15th February, 1993, provides that where the Election Commission apprehends intimidation and victimisation of electors in any constituency and it is of the opinion that it is absolutely necessary that ballot papers taken out of all ballot boxes use in that constituency should be mixed before counting, instead of being counted polling stationwise, it may, by notification in the Official Gazette, specify such constituency;

2. AND WHEREAS, on such specification under the said rule 59A of the Conduct of Elections Rules, 1961, the ballot papers of the specified constituency shall be counted by being mixed instead of being counted polling stationwise;

3. AND WHEREAS, the Election Commission has carefully considered the matter and has decided that in the light of the prevailing situation in 8—Shimla Assembly Constituency in the State of Himachal Pradesh and in the interests of free and fair election and also for safety and security of electors and with a view to preventing intimidation and victimisation of electors in that Constituency the said Assembly Constituency may be specified under the said rule 59A for the purposes of counting of votes at the bye-election to the Legislative Assembly from the said Assembly Constituency *now in progress*;

4. NOW, THEREFORE, the Election Commission hereby specifies the said 8—Shimla Assembly Constituency in the State of Himachal Pradesh as the constituency to which the provisions of rule 59A of the *Conduct of Elections* Rules, 1961, as amended, shall apply for the purposes of counting of votes at the bye-election to the Legislative Assembly of Himachal Pradesh.

By order,

S. K. MENDIRATTA,
Principal Secretary,
Election Commission of India.

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

निर्वाचन सदन,
अशोक रोड,
नई दिल्ली-110 001.

17 सितम्बर, 1996
तारीख, ——————————
26 भाद्रपद, 1918 (शक)

संख्या 470/96/न्या०-II (2).—यतः, 15 फरवरी, 1993 से निर्वाचनों का संचालन (द्वितीय संशोधन) नियम, 1993 द्वारा यथा संशोधित, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 59 क में उपबंधित है कि निर्वाचन आयोग को जहां किसी भी निर्वाचन-क्षेत्र में निर्वाचकों को अभित्रास और उत्पीड़न की आशंका है और उसका यह मत है कि मतदान-केन्द्र वार मतगणना करने के बजाय उक्त निर्वाचन-क्षेत्र में प्रयुक्त मतपेटियों से सभी मतपत्रों को निकाल कर गणना से पहले मिलाया जाना नितान्त आवश्यक है तो वह इस हेतु सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसे निर्वाचन क्षेत्र को विनिर्दिष्ट करेगा ;

2. और यतः निर्वाचन का संचालन नियम, 1961 के उक्त नियम 59 क के अधीन ऐसे विनिर्देशन होने पर, विनिर्दिष्ट निर्वाचन-क्षेत्र में मतपत्रों की गणना मतदान केन्द्र वार गणना करने के बजाय, मिश्रित करके की जाएगी ;

और यतः, निर्वाचन आयोग ने इस मामले का सावधानीपूर्वक अध्ययन किया है और यह निश्चय किया है कि हिमाचल प्रदेश राज्य के 34—नूरपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में वर्तमान स्थिति के परिप्रेक्ष्य में और स्वतन्त्र और निष्पक्ष निर्वाचन के हित में तथा निर्वाचकों के बचाव और सुरक्षा के लिए भी एवम् उस निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचकों के अभित्रास और उत्पीड़न को रोकने की दृष्टि से, उक्त विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र को, विधान सभा के उप-निर्वाचन में, जो कि उक्त विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र में, प्रगति उन्मुख है, मतों की गणना के प्रयोजनार्थ, उक्त नियम 59 क के अधीन विनिर्दिष्ट किया जाए ;

4. यतः, अब, निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य से उक्त 34—नूरपुर विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र को ऐसे निर्वाचन-क्षेत्र के रूप में विनिर्दिष्ट करता है, जिसमें, यथा संशोधित, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम, 59 क के उपबन्ध उक्त हिमाचल प्रदेश राज्य की विधान सभा के उप-निर्वाचन में, मतों की गणना के प्रयोजनार्थ, लागू होंगे ।

आदेश से,

एस० के० मेंदीरत्ता,
प्रधान सचिव ।

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

Nirvachan Sadan,
Ashoka Road,
New Delhi-110 001.

Dated, 17 *September*, 1996
26 *Bhadra*, 1918 (*Saka*)

No. 470/96/JUD-II(2). WHEREAS, rule 59A of the Conduct of Elections Rules, 1961 as amended by the Conduct of Elections (Second Amendment) Rules, 1993 with effect from 15th February, 1993, provides that where the Election Commission apprehends intimidation and victimisation of electors in any constituency and it is of the opinion that it is absolutely necessary that ballot papers taken out of all ballot boxes used in that constituency should be mixed before counting, instead of being counted polling stationwise, it may, by notification in the Official Gazette, specify such constituency;

2. AND WHEREAS, on such specification under the said rule 59A of the Conduct of Elections Rules, 1961, the ballot papers of the specified constituency shall be counted by being mixed instead of being counted polling stationwise;

3. AND WHEREAS, the Election Commission has carefully considered the matter and has decided that in the light of the prevailing situation in 34—Nurpur Assembly Constituency in the State of Himachal Pradesh and in the interests of free and fair election and also for safety and security of electors and with a view to preventing intimidation and victimisation of electors in that Constituency the said Assembly Constituency may be specified under the said rule 59A for the purposes of counting of votes at the bye-election to the Legislative Assembly from the said Assembly Constituency now in progress;

4. NOW, THEREFORE, the Election Commission hereby specifies the said 34—Nurpur Assembly Constituency in the State of Himachal Pradesh as the constituency to which the provisions of rule 59A of the Conduct of Elections Rules, 1961, as amended, shall apply for the purposes of counting of votes at the bye-election to the Legislative Assembly of Himachal Pradesh.

By order,

S. K. MENDIRATTA,
Principal Secretary,
Election Commission of India.

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित।